SHRI SOM PAL : A Member has to send a registered letter saying that CAG has given this report. (*Interruptions*) Madam, you should issue your directions. He is taking the House for a ride.

SHRI MD. SALIM : This shows how serious they are...(*Interruptions*) The people are not getting water.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If you sit down, then the Minister can answer. Mantri Ji, if you have not seen that report, please see it and find out what are the defects which have been referred to in the Report and try to rectify them.

SHRI P. K. THUNGON : This is what I was trying to say.

TGT Pay Scale to Music Teachers

*264. SHRI DIGVIJAY SINGH† :
DR. R. K. PODDAR :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have since decided in principle, to grant TGT pay scale to Music Teachers of Kendriya Vidyalayas;

(b) if so, by when the scale is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों के संगीत शिक्षकों को वही वेतनमान दिया जाता है जो प्राथमिक शिक्षकों को दिया जाता है। तथापि, वेतनमान की अनुमोदित पद्धति से इन शिक्षकों के लिए सीनियर वेतनमान का भी प्रावधान है जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी जी टी) के मूल वेतनमान के समतुल्य है ? इसके अतिरिक्त, संगीत शिक्षकों का सेलेक्शन वेतनमान, टी जी टी के सीनियर वेतनमान तथा पी जी टी के मूल वेतनमान के बराबर है। केन्द्रीय विद्यालयों में संगीत केवल सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप के रूप में ही कक्षा-1 से 8 तक पढ़ाया जाता है। 1987 में वेतनमान में संशोधन होने से ....

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Digvijay Singh

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदया, मंत्री जी का जवाब विरोधाभास से भरा हुआ है और यह जवाब आज से नहीं पिछले 5-6 वर्षों से लगातार दिया जा रहा है। 1988 में भी ऐसा जवाब दिया गया, 1990 में ऐसा जवाब दिया गया और 1991 में भी ऐसा जवाब दिया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार कोई आयोग बनाती है तो उसकी सिफारिशों का कोई अमली जामा अपने विभाग से पहनाने की कोशिश भी करती है या नहीं ? अगर ऐसा करती तो शायद मंत्री जी इस तरह का जवाब इस सदन में नहीं देतीं। 1985 में प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय कमीशन इस देश में बना था, देश के शिक्षकों के बारे में, उनकी तनख्वा के बारे में, उनके साथ जो भेदभाव का बर्ताव किया जाता है उसके बारे में और उस कमीशन की रिपोर्ट 1985 में भारत सरकार को सबमिट की गई थी। उस कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि शिक्षक चाहे वह खेल-कूद का शिक्षक हो, चाहे वह भाषा का शिक्षक हो, चाहे वह संगीत का शिक्षक हो, उसका दर्जा शिक्षक है और वह हर उस हक को पाने के लिए हकदार है जो कि एक शिक्षक की हैसियत से उसे मिलता है। अगर इस तरह की बात नहीं है तो मेरी समझ में आपका यह जवाब नहीं आया कि संगीत शिक्षक जो केन्द्रीय विद्यालय में हैं उनके साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार सेलरी के मामले में कैसे कर सकते हैं ? इसलिए दुर्व्यवहार, भेदभाव मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव तो अनजाने में होता है, दुर्व्यवहार इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार पिछले 7-8 वर्षों से यह सवाल उठाया जा रहा है, हिन्दुस्तान के जाने-माने व्यक्तित्व का, कमीशन का रिपोर्ट आया

और उसके बाद भी आपके विभाग के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ इस लिए मैं दुर्व्यवहार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं।

उपसभापति : अब जवाब देने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री जी, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। यूनियन टैरिटरिज जो भारत सरकार का एक हिस्सा है और भारत सरकार के खजाने से ही उनको तनख्वाह दी जाती है उनको म्यूजिक टीचर्स को आप तनख्वाह में भेदभाव कर रही हैं। उनको आप वह पैसा देती हैं, वह तनख्वाह देती हैं, वह पे-स्केल जो कि आम शिक्षकों को मिलता है। जो संगीत के शिक्षक हैं उनके लिए न तो कोई प्रोमोशन की व्यवस्था है और न उनको कोई आगे बढ़ने की गुंजाइश है।

उपसभापति : आप इतना लंबा सवाल नहीं करिए, आप संक्षेप में एक सवाल करिए और उन्हें जवाब देने दीजिए। भाषण मत करिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैडम, यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Supplementary is important. You just ask a pointed question.

श्री दिग्विजय सिंह : भाषण का भी कुछ असर हो, तो मुझे खुशी हो।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : आप इतना ज्यादा जोर से क्यों बोल रहे हो....... (व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह : मैडम, इस सदन में कुछ सेल्फ अपाइंटेड मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप पहले उनको रोकिए और अगर वह मंत्री हैं तो मैं उन्हीं से सवाल पूछा करूं ? मैडम, कुछ लोग इस सदन में खामख्वाह जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : सवाल जवाब देने का नहीं है, सवाल हाउस के प्रोसीजर का है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो क्या आप उसके रक्षक हैं ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Jadhav, I am still in the Chair and in control of the Members which includes you also. I request the Member to put a pointed question. Then, I would see that the Minister answers to it. If you mention about the whole policy of music teachers..(*interruptions*)..You put a question.

आप सुर व लय में बोलें तो भी कोई सुन लेगा और अगर गाकर पूछेंगे तो शायद फर्क पड़ जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैडम, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से यह तथ्य इसलिए रख रहा था कि यदि मंत्रीजी को अपने विभाग की जानकारी न हो तो मैं उन्हें जानकारी दे रहा था और मैडम, आपने कहा कि सीमित समय में, सीमित शब्दों में सवाल पूछूं तो मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यूनियन टेरिटरीज के जो पे-स्केल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, जो दूसरी जगहों पर इसकी व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए और आपने अपने जवाब में कहा है कि एक्स्ट्रा-क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में म्यूजिक आता है व योग भी उसी में आता है तो योग के शिक्षकों को तनख्वाह आप दूसरों के बराबर देती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पूछना चाहूंगा कि....

THE DEPUTY CHAIRMAN : You are more influenced by the presence of myself.

श्री दिग्विजय सिंह : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपके दिमाग में चट्टोपाध्याय कमीशन की रिकमंडेशंस को ध्यान में रखते हुए म्यूजिक टीचर्स के बारे इस व्यवस्था को बदलने का विचार है क्योंकि तमाम तथ्य उनके पक्ष में जाते हैं इसलिए क्या आप उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगी ?

कुमारी शैलजा : मैडम, ये स्केल्स रिवाइज किए गए थे 1987 में, विद इफेक्ट फ्राम 1-1-86 और उस समय जब रिवाइज किए गए तो चट्टोपाध्याय

कमीशन की रिपोर्ट ही मद्देनजर रखी गयी थी। उसमें कमीशन ने यह रिकमंड किया था कि 3 टियर्स स्केल होने चाहिए जो कि इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। जहां तक आपने यूनियन टेरिटरीज और दूसरी बात कही, तो मैं बताना चाहूंगी कि यूनियन टेरिटरीज में जो म्यूजिक टीचर्स हैं वह क्लास-12 तक पढ़ाते हैं और केन्द्रीय विद्यालय में जो म्यूजिक टीचर्स हैं वह सिर्फ क्लास-8 तक पढ़ाते हैं। इसलिए उनको प्राइमरी टीचर्स के लेवल पर रखा गया है।

उपसभापति: सैकंड सप्लीमेंटरी और वह तो संक्षेप में होनी क्योंकि आपने पहले ही काफी बड़ी भूमिका बांध ली है।

श्री दिग्विजय सिंह: बहुत छोटा और अगर जवाब उससे भी छोटा हो तो मुझे और खुशी होगी।

मैडम, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर चेयरमैन भी हैं, उस के संबंध में मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उस संगठन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने आपको पहले भी कहा कि कमीशन की रिपोर्ट उसके पक्ष में जाती है और कौन किस क्लास तक पढ़ाता है यह अहम सवाल नहीं है। अब आप तो यह ऐसी बात कह रही हैं कि जो इंटरमीडिएट की क्लास लेगा, जो बी.ए. की क्लास लेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स की क्लास लेगा, उसकी तनख्वाह कुछ और होगी तो ऐसा भेदभाव शिक्षा में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं.....

क्या आप इस मेटर में अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कोई निर्देश देने की कृपा करेंगी?

कुमारी शैलेजा: मैडम इसमें, मैं एक पाइंट और एड करना चाहूंगी कि यहां पर क्लास आठ तक पढ़ाया जाता है और यूनियन टैरिटरिज वगैरह में क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, वहां एक बात और भी है कि वहां पर यह इलेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और केन्द्रीय विद्यालय में यह को-कुरिकुलर एक्टिविटी के रूप में है। इसलिए यह बेसिक फर्क है।

DR. R. K. PODDAR : Madam, it is a fact that most of us appreciate music, but not music teachers. (*Interruptions*). I believe that there are about 45,000 teachers in Kendriya Vidyalayas, in 771 schools. I believe that not more than one music teacher is there in each school. So, only 600 to 700 music teachers are there. They are all graduates with the same qualifications as the Trained Graduate Teachers in Delhi Administration schools as well as in Union Territoies' schools, as Mr. Digvijay Singh has said. This is a very serious question raised that just because they teach up to class VIII, they should get lower pay-scales. What is happening in colleges and universities ? There are some teachers who teach in higher secondary classes.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please ask very limited question.

DR. R. K. PODDAR : What is the argument ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : You don't argue. Put your question and let her answer.

DR. R. K. PODDAR : I would request the Government to reconsider thi position that teachers with the same qualifications are getting the salary of a Trained Graduate Teacher in Delhi Administration schools and teachers with the same qualifications are not being given the same pay-scale in the Kendriya Vidyalayas. This is very discriminatory. I would request the Government to reconsider this position.

KUMARI SELJA : I think I have answered this question. The work load is much less in the Kendriya Vidyalaya. We have only one teacher per school in the Kendriya Vidyalaya and it is a co-curricular activity, not an elective subject.

DR. R. K. PODDAR : Then, why do you give them permanent, full-time, appointments ? You should make the appointments on a part-time basis. You

should not give permanent appointments and give them lower salaries. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN : I think she has answered enough on this. Question No. 265. (*Interruptions*). It should be on the basis of the question, not two supplementaries or ten supplementaries.

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, I agree. But it is relating to teachers' problems.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Narayanasamy, we have gone on to another question. Yes, Mr. Jogi.

भवन-निर्माण प्रयोजनार्थ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबन्ध

*265. श्री अजीत जोगी: श्री छोटू भाई पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में इमारती लकड़ी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में राज्य-सरकारों तथा निजी भवन-निर्माताओं को भी उसी प्रकार के निर्देश देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGAN) :

(a) to (c) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) Government have taken a decision for banning use of wood in the construction of Government buildings by the Central Public Works Department for new works starting after 1st April, 1993. The State Governments/Union territories ave also been addressed impressing upon them to take similar steps and to advise the State level housing and building construction agencies for using wood substitutes to the exclusion of wood in the construction works. Housing Finance and lending Institutions in the housing sector have also been advised to promote on the use of the wood substitutes in the housing and building schemes funded by them.

It is expected that with the lead given by the Central Public Works Department and the State Governments/Union territories, the private builders would also fall in line and adopt substitutes for wood for construction purposes.

श्री अजीत जोगी : उपसभापति जी, चूंकि 1 अप्रैल, 1993 से केन्द्रीयशासन के अंतर्गत बनने वाले सभी भवनों में लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं का उपयोग करने का आदेश दे दिया गया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक केन्द्रीय शासन के अंतर्गत बनने वाले भवनों में कुल कितने घनमीटर लकड़ी का उपयोग होता था ? उसका क्या मूल्य होता था ? लकड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद औसतन कितने वृक्षों की कटाई रुक गई ? और, जो विकल्प के रूप में वस्तुएं उपलब्ध की जा रही हैं, क्या वह लकड़ी से अधिक महंगी है या सस्ती है ? उससे शासन को क्या अतिरिक्त भार पड़ेगा विकल्प के रूप में जो वस्तुएं इस्तेमाल हो रही हैं, उनके रिसर्च और डवलपमेंट की क्या प्रगति है ? कौन से वैकल्पिक हैं और वह किन जगहों पर तैयार होते हैं ?

उपसभापति : आप एक ही सवाल पूछिए।

श्री अजीत जोगी : एक ही सवाल है।

उपसभापति : आप बस सवाल पूछेंगे तो एक का भी जवाब नहीं आएगा, मुझे इसका यकीन है।

---

*सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया।